उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्याः क0नि0–5–2234/11–2007–500 (7)/2001
लखनऊः दिनांक 24 मई, 2008

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 02 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय–समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0–5–3338/11–2004–500(7)/2001 दिनांक 2 जुलाई, 2004 में निम्नलिखित संशोधिन करते हैं:–

<u>संशोधन</u>

उपर्युक्त अधिसूचना में शब्द और अंक ''25 जुलाई, 2007 से प्रारम्भ होने वाली 31 मार्च, 2008 तक ''के स्थान पर शब्द और अंक ''24 मई, 2008 से 31 मार्च, 2009'' तक रख दिये जायेगे।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(गोविन्द नायर)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–सं0वि0क0नि05–2234/11–2008–500(7)/2001 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे दिनांक 24 मई, 2008 के असाधारण गजट के भाग–4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 200 प्रतियॉ महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को और 100 प्रतियॉ शासन को इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट

(कपिलदेव त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या–सं0वि0क0नि05–2234/11–2008–500(7)/2001 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
4. महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
10. विधायी अनुभाग–1,
11. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूचना निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(कपिलदेव त्रिपाठी)
विशेष सचिव।